5

संख्या-सी०ए०-1415/दस-2002-वित्त-2/2001

प्रेषक,

डा० बी० एम० जोशी,
सचिव, वित्त विभाग,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग — लखनऊ, दिनांक 28 सितम्बर, 2002

विषय :- राजकीय व्यय में मितव्ययिता के परिप्रेक्ष्य में सरकारी गाड़ियों की अनुमन्यता एवं उनके रख-रखाव आदि के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

महोदय,

सरकारी गाड़ियों के उपयोग के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-315/दस-सं०वि०-मि०-97, दिनांक 19 मार्च, 1997 द्वारा दिये गये निर्देशों के अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी, जिसे वाहन आवंटित हो, को प्रतिमाह प्रति वाहन राजकीय कोष में अपने वेतन से कार के उपयोग के लिए 250 रु० तथा जीप के उपयोग के लिए 200 रु० प्रतिमाह जमा किये जाने के निर्देश दिये गये थे। इस राशि को 29 मई, 1999 के शासनादेश से पुनरीक्षित किया गया और यह राशि वर्तमान में कार के लिए 500 रु० प्रतिमाह तथा जीप के लिए 400

रु० प्रतिमाह निश्चित की गयी। यह भी निर्धारित किया गया कि उक्त राशि जमा किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी राजकीय वाहन का 200 कि० मी० तक निजी उपयोग कर सकेंगे। इससे अधिक के उपयोग पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा 3.00 रु० प्रति कि० मी० प्रति वाहन की दर से अतिरिक्त राशि राजकोष में जमा की जायेगी। इसी क्रम में 20 सितम्बर, 2001 के शासनादेश से 19 मार्च, 1997 के शासनादेश में वाहन के उपयोग से सम्बन्धित उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 तथा 3 के सम्बन्ध में निर्देशों को स्पष्ट करते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2. राजकीय वाहन के उपयोग के सन्दर्भ में शासन के समक्ष वाहनों के खराब हो जाने की दशा में उक्त निर्धारित प्रतिमाह प्रति वाहन कटौती की राशि वेतन से जमा किये जाने अथवा न किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुए सन्दर्भों पर सम्यक् रूप से विचार किये जाने के उपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि वाहन एक माह से ऊपर की अवधि में खराब रहता है/"आफ रोड" रहता है और इस तथ्य की पुष्टि वाहन की लागबुक तथा सुसंगत दस्तावेजों से हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वाहन के उपयोग न किये जाने की अवधि में अधिकारी से, जिसे वाहन आवंटित है वाहन के निजी उपयोग के लिए कटौती नहीं की जायेगी, इस शर्त पर कि अधिकारी द्वारा आवंटित वाहन खराब/"आफ रोड" रहने पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अन्य शासकीय वाहन का उपयोग नहीं किया जाता है। अधिकारी के शासकीय वाहन के खराब होने तथा उसके द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अन्य शासकीय वाहन का प्रयोग न किये जाने के तथ्य को सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना होगा। स्वयं आहरण एवं वितरण अधिकारी के प्रकरण में उनके द्वारा उक्त आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। यदि वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे वाहन आवंटित हो, और वह एक माह से ज्यादा अवधि तक खराब/"आफ रोड" हो, अन्य शासकीय वाहन का उपयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कटौती जारी रहेगी।

3. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रत्येक अधिकारी द्वारा उक्त शासनादेश के अंतर्गत प्रतिमाह प्रति वाहन उल्लिखित धनराशि नियमानुसार जमा की जा रही है/वेतन से स्रोत पर ही कटौती कर ली गयी है। वाहन खराब होने की दशा में उल्लिखित नियम का अनुपालन करते हुए इस बात की पुष्टि कर ली जाय कि लागबुक तथा अन्य सुसंगत दस्तावेजों के आधार पर वाहन के अनुपयोग की अवधि सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

डा० बी० एम० जोशी,

सचिव, वित्त।

संख्या-सी०ए०-1415(1)/दस-2002-मित-2/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि शासन के समस्त प्रमुख सचिवों/सचिवों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीन विभिन्न विभागों और अपने विभाग से सम्बन्धित स्थानीय निकायों/निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों एवं राज्य विश्वविद्यालयों आदि को इस शासनादेश की प्रतिलिपि भेजकर सुनिश्चित कर लें कि उनमें भी इसका कड़ाई से पालन किया जाय।

आज्ञा से,

शिवानन्द गिरि,

विशेष सचिव, वित्त।